

प्रेसनोट दिनांक 28.07.2021

- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजाराम पुत्र रामअवध नि० बनवारी का पुरवा माझा बरेहटा थाना को०अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गणों द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अ०स० 54/21 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित में पीडिता की फर्जी मार्कशीट व टी०सी जालसाजी व कूटरचित तरीके से बनवाकर विवेचना में देना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०स० 379/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री मिथलेश कुमार चौहान थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित चौधरी पुत्र रामानन्द चौधरी नि० शीशमहल पंचमहल स्वर्गद्वार थाना को०अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०स० 380/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित कुमार पुत्र हृदयराम नि० शिवदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०स० 326/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी श्री विद्याशंकर शुक्ला प्र०नि० गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.राजनाथ वर्मा पुत्र रमापति वर्मा 2.राकेश वर्मा पुत्र रामजनम 3.बच्चाराम पुत्र कामता प्रसाद 4.दीपक कुमार पुत्र माताफेर 5.राजू वर्मा पुत्र काशीराम 6.मो० वैश पुत्र शौकत अली 7.हृदय कुमार तिवारी पुत्र रामचन्द्र 8 संजय तिवारी पुत्र रामचन्द्र 9. विनय कुमार पुत्र दिनेश कुमार 10 मोहित मिश्र पुत्र कमलेश नि०गण त्रिलोकपुर डफरपुर थाना गोसाईगंज सभी जेल अभियुक्त गणों द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु जहरीली शराब पिलाकर विरोधियों को रास्ते से हटाने की नीयत से समाज में दहशत फैलाना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०स० 217/21 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री रामविलास वर्मा थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र कुमार पुत्र श्याम लाल नि० टण्डौली थाना गोसाईगंज अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०स० 218/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री अमरबहादुर पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवबहादुर पुत्र मनोहर नि० मलावन थाना हैदरगंज अयोध्या अभि० के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०स० 167/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी झिनकू राम पुत्र तुलसी राम नि० खिराहन थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अलगूराम पुत्र तुलसीराम नि० खिराहन थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा नीम का पेड तोड़ने की बात को लेकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०स० 390/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी श्री अजय कुमार तिवारी पुत्र उदयनरायण तिवारी नि० खैरनपुर थाना को०रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 41 जे 8141 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की स्कूटी में टक्कर मार देना जिससे वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा स्कूटी क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०स० 337/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि०श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामलखन पुत्र बहादुर नि० पुरायं थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०स० 163/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 27.07.21 को वादी उ०नि० श्री रामखेलाडी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कन्हैयालाल पुत्र धनीराम नि० मानापुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 165/21 धारा 60 आबकारी अधि का अभियोग पंजीकृत किया गया।